कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./RPC/2025–26/3394

दिनांकः 05/01/2026

// विज्ञापन Advt. No.30th दिनांक 25.09.2023 के संबंध में शुद्धिपत्र//

विश्वविद्यालय प्रबंध प्रमण्डल की 59 वीं बैठक दिनांक 10.12.2025 के पद क्रमांक 06 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाता है–

विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन No.IPRO/Advt. No.30th/2023/Reg./3206 दिनांक 25.09.2023 में वेतनमान एवं भत्तों के संबंध में बिन्दु क्र. 2 में स्पष्ट किया गया था। पुनः बिन्दु क्र. 2(2), 2(7) एवं 2(8) के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. A.Extn.4/18/2019-AE.III (e-52000) दिनांक 20.08.2024 के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदों हेतु मात्र मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता ही देय होने से केवल इन्हीं का भुगतान चयन होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उक्त पत्र एवं एम.ओ.यू के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी प्रकार की परिलब्धि एवं सेवानिवृत्ति लाभ यथा अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी व पेंशन अंशदान का भुगतान नहीं किया जायेगा और चयन उपरांत इनके भुगतान हेतु किसी भी प्रकार की मांग को स्वीकार नहीं किया जावेगा। साथ ही उपरोक्त विज्ञापन में आवेदन प्रक्रिया संबंधी अनिवार्य सूचनाएं एवं आवश्यक निर्देश के बिन्दु क्रमांक 2(22) एवं 2(23) कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदों हेतु विलोपित किये जाते हैं।

अतः कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदों हेतु आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन में वर्णित उक्त बिन्दु एवं उपरोक्त स्पष्टीकरण का भली भांति अध्ययन कर लें। आवेदनकर्ताओं के परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु पात्र पाये जाने पर वे उक्त शर्तें स्वीकार होने की दशा में ही भर्ती संबंधी आगामी प्रक्रिया (परीक्षा अथवा साक्षात्कार) में भाग लें। आवेदनकर्ताओं का आगामी प्रक्रिया में भाग लेना उक्त शर्तों के लिये उनकी सहमति मानी जावेगी।

(माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव